

भारत


दस
रुपये

रु. 10

Rs. 10



INDIA NON JUDICIAL



IDENTIFIED BY
STRIPES UTTARAKHAND

14AA 448847



समस्त दिवसों में अधिकारी
59 हल्द्वानी निवासी थेर

- शिपवाकर -

शिपवाकर - श्रीमती साधवी उर्फ देवी अधिकारी


प्रश्न 26

(निम्न कठ देंखिए)

59 हल्द्वानी

निर्वाचन क्षेत्र संख्या, National India

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)



उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटायरिंग

आफिसर के समक्ष अभ्यर्षी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र

में श्रीमती माधवी उर्फ रेनु अधिकारी पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री मोहन सिंह अधिकारी

आयु 37 वर्ष, जो मल्ला मोरारपुर, हल्द्वानी जिला के निवासी हैं

और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्षी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ / शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ :-

1- मैं, ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से वंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेंगे / करेगी) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं..... लागू नहीं
- (ii) पुलिस थाना (थाने)..... लागू नहीं जिला (जिले)..... लागू नहीं राज्य..... लागू नहीं
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्षी आरोपित किया गया है..... लागू नहीं
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई..... लागू नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया था / थे..... लागू नहीं
- (vi) क्या सभ्य या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं..... लागू नहीं

2- मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है / नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं..... लागू नहीं
- (ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है..... लागू नहीं
- (iii) पुलिस थाना (थाने)..... लागू नहीं जिला (जिले)..... लागू नहीं राज्य..... लागू नहीं
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्षी कभी आरोपित किया गया है..... लागू नहीं
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे..... लागू नहीं
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं..... लागू नहीं


स्थान : हल्द्वानी

तारीख : 10-01-2012

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

(Handwritten signature)

सत्यापन



मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तार्किक बात भ्राम्य नहीं गई है।

.....हल्द्वानी..... स्थान पर आज तारीख 10-01-2012.....को सत्यापित किया।


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।

certified that Sri/Smt. Madhavi & Renu Adhikari
the deponent identified bySelf.....
sworned & verified the contents
of the affidavit atHaldwani.....
on date 10/1/2012 Time 9:16 AM.
D.S. Bisht 10/1/2012
Diwan Singh Bisht
Advocate
Notary, Haldwani
Distt Nainital UK India